भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3275
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों के लिए संवैधानिक सुरक्षोपाय

3275. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जेलों के भीतर दैनिक न्यायिक पहुंच के लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र का प्रस्ताव दिया है और एक ऐसी नीति की संभावना तलाशने का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन जेलों का दौरा करें कि विचाराधीन कैदियों को न्यायालय के समक्ष पेश न किए जाने की स्थिति में संवैधानिक सुरक्षोपायों से वंचित न होना पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके प्रमुख संरक्षक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है, देशभर में सभी विचाराधीन कैदियों और अन्य बंदियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचाराधीन कैदियों को विधिक सेवा क्लीनिकों और जेल विधिक सहायता क्लीनिकों (पी.एल.ए.सी.) के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सेवाएं/सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला और सत्र न्यायाधीश) कैदियों को विधिक सहायता सेवाओं तक पहुंच और जेल विधिक सहायता क्लीनिकों के संचालन पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया, 2022 (एसओपी-2022) के अधीन कैदियों के सुनिश्चित विधिक

सहायता वितरण और संस्थागत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर, जेलों का दौरा करते हैं, जिससे मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक पी.एल.ए.सी. का प्रत्येक मास में कम से कम एक बार दौरा और निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी पात्र विचाराधीन कैदियों को विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाए, जेल की स्थितियों की निगरानी करते हैं, न्यायालयों के समक्ष कैदियों की पेशी न करने के मामलों की समीक्षा करते हैं और कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाते हैं । लॉजिस्टिकल और अन्य बाधाओं के कारण विचाराधीन कैदियों को प्रतिप्रेषण या विचारण न्यायालय के समक्ष, चाहे भौतिक रूप से या वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश न किए जाने के मामलों की जांच करने और समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए जिला स्तर पर विशेष विचाराधीन समीक्षा समितियां गठित की गई हैं ।
